अहम फैसला : अदालत ने कहा- पीड़ित को न्याय के लिए भटकाया नहीं जा सकता

हादसा कहीं भी हो, पर पीड़ित को अपने शहर में मिल सकता न्याय

एक्सक्लूसिव

■ निशि कान्त

रांची। सड़क दुर्घटना उत्तर प्रदेश में हुई, एफआईआर भी वहीं दर्ज हुई, लेकिन मृतक का परिवार रांची का होने के कारण न्याय की लड़ाई रांची में लड़ी गई और आखिरकार रांची के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने पीड़ित परिवार को 27.34 लाख रुपये का मुआवजा दिलाया। यह फैसला उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिनके परिजन दूसरे राज्य में सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं। ऐसे मामलों में पीड़ित परिवार अपने निवास स्थान की अदालत में भी मुआवजे का दावा कर सकता है। अपर न्यायायुक्त-सह-पीठासीन पदाधिकारी एमएसीटी मनोज त्रिपाठी की अदालत ने रांची निवासी स्व. श्याम सुंदर प्रसाद की पत्नी, दो पुत्रों और पिता के पक्ष में यह फैसला सुनाया।

अदालत ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 27,34,375 रुपये मुआवजा 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ दो माह के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया। ब्याज की गणना 9 अगस्त 2023 (दावा दायर करने की तिथि) से होगी। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार लाल ने पक्ष रखा था।

27.34 लाख का मुआवजा पीड़ित परिवार को

क्या है मामला

मामला 26 अप्रैल 2023 का है। रांची के अमरुद बागान, रातू रोड निवासी श्याम सुंदर प्रसाद अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने उत्तर प्रदेश के आंबेडकर नगर गए थे। लौटने के दौरान महरुआ रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल उनकी अस्पताल में मौत हो गई। इस संबंध में अकबरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई और जांच के बाद ट्रक चालक सुरेश के खिलाफ आरोपपत्र भी दाखिल किया गया।

तकनीकी आधार पर न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता

अधिकरण ने बीमा कंपनी की आपत्ति खारिज कर दी और रांची में दायर दावा को सुनवाई योग्य माना। अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि तकनीकी आधार पर पीड़ित को न्याय से वंचित करना कानून की मंशा के विपरीत होगा। इस फैसले से उन लोगों को भी राहत मिलेगी, जो रोजगार, व्यवसाय या यात्रा के दौरान दूसरे राज्यों में सड़क दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, लेकिन उनका स्थायी निवास झारखंड में है।

ट्रेन से गिरकर मौत पर रेलवे को देना ही होगा मुआवजा

हाईकोर्ट

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने ट्रेन से गिरकर हुई एक यात्री की मौत के मामले में रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल का फैसला रद्द करते हुए मृतक के आश्रितों को राहत दी है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने कहा है कि यदि यह साबित हो जाए कि मृतक वैध टिकट लेकर यात्रा कर रहा था और चलती ट्रेन से गिरने के कारण उसकी मौत हुई, तो रेलवे मुआवजा देने से बच नहीं सकता। कोर्ट ने रेलवे को दो माह में आठ लाख रुपये तथा दुर्घटना की तिथि से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया।

अदालत ने यह आदेश देवघर निवासी अशोक महतो की पत्नी राजकुमारी देवी एवं अन्य आश्रितों की अपील पर सुनाया। अपीलकर्ताओं ने रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल रांची के 26 अप्रैल 2023 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके आठ लाख रुपये के मुआवजे का दावा खारिज कर दिया गया था। एक अगस्त 2017 को अशोक महतो ने जमुई से मधुपुर जाने के लिए वैध द्वितीय श्रेणी का टिकट खरीदा था और दानापुर-टाटानगर एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में नवापटरी के पास चलती ट्रेन से गिरने के कारण उनकी मौत हो गई। रेल पुलिस की जांच, पंचनामा और अंतिम रिपोर्ट में भी ट्रेन से गिरकर मौत होने की पुष्टि की गई थी तथा मृतक के पास से वैध टिकट भी बरामद हुआ था। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने साक्ष्यों की गलत व्याख्या करते हुए दावा खारिज किया था। केवल इस आधार पर कि शव रेलवे ट्रैक से लगभग 10 मीटर दूर मिला, यह नहीं माना जा सकता कि दुर्घटना ट्रेन से गिरने की नहीं थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि शव के दूर मिलने के कई कारण हो सकते हैं और इसका लाभ रेलवे को नहीं दिया जा सकता।

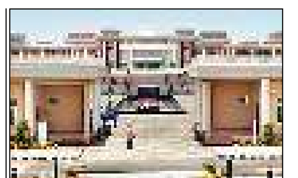

- शव ट्रैक से दूर मिलने मात्र से दुर्घटना पर संदेह नहीं किया जा सकता
- वैध टिकट खरीदने के लिए प्रत्यक्षदर्शी होना आवश्यक नहीं

दुष्कर्म के दोषियों की 22 वर्ष की सजा बरकरार

रांची, विशेष संवाददाता। हाईकोर्ट ने एक आदिवासी दुष्कर्म पीड़िता के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों की 22 वर्ष की कठोर कारावास की सजा बरकरार रखी है। हालांकि, पीड़िता की उम्र कानूनी रूप से साबित नहीं होने के कारण अदालत ने पॉक्सो एक्ट और अपहरण के दोष को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि यह स्थिति पुलिस जांच और अभियोजन की गंभीर लापरवाही के कारण बनी।

जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ ने जोहान सवाईयां और जोकर चाटोंबा को भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी (सामूहिक दुष्कर्म) के तहत दोषी मानते हुए उनकी 22 वर्ष की सजा को सही ठहराया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता की गवाही पूरी तरह विश्वसनीय है और उसी के आधार पर सामूहिक दुष्कर्म का अपराध सिद्ध होता है। अदालत ने यह भी माना कि एफआईआर दर्ज कराने में सात दिन की देरी आरोपियों की धमकी और पीड़िता के मानसिक आघात के कारण हुई थी, इसलिए इससे अभियोजन का मामला कमजोर नहीं होता।

उम्र साबित करने में जांच एजेंसी विफल

अदालत ने कहा कि पीड़िता की उम्र साबित करने में जांच एजेंसी पूरी तरह विफल रही। जांच अधिकारी ने एक स्कूल प्रमाणपत्र पर भरोसा किया, जो कथित तौर पर वर्ष 2011 का था, जबकि घटना 2016 की थी। इतना ही नहीं, प्रमाणपत्र जारी करने वाले स्कूल के प्रधानाध्यापक को भी गवाही के लिए पेश नहीं किया गया, जिससे उस दस्तावेज का कोई कानूनी महत्व नहीं रह गया। फरवरी 2016 को पश्चिम सिंहभूम के एक जंगल में पीड़िता लकड़ी चुनने गई थी, इसी दौरान घटना हुई।

सास की हत्या के मामले में बहू को आजीवन कारावास

रांची, संवाददाता। सास की हत्या के मामले में दोषी करार बहू फूलो देवी को अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। फूलो देवी घटना के बाद से ही जेल में है।

घटना को अंजाम लापुंग थाना क्षेत्र के कारूंम गांव में 9 जून 2024 को दिया गया था। अपर लोक अभियोजक सिद्धार्थ सिंह ने गवाहों के बयान और अन्य ठोस साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। घटना को लेकर मामले में महिला के पति ने लापुंग थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार, 9 जून 2024 को दोपहर करीब तीन बजे आपसी विवाद के दौरान फूलो देवी ने अपनी सास मानमईत देवी के सिर पर ईंट से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इसके बाद उसे जमीन पर पटककर गर्दन दबा दी, जिससे उसकी मौत हो गई थी।

शहर 30s

अलबर्ट एक्का चौक से लेकर कचहरी चौक तक मंगलवार को दोपहर में घंटों लंबा जाम लगा रहा। इस दौरान वाहन रेंगते रहे और लोग परेशान रहे।

धोखाधड़ी में अग्रिम जमानत आदेश 18 को

रांची। धोखाधड़ी, जालसाजी और गबन के मामले में चार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को अपर न्यायायुक्त देवाशीष मोहापात्रा की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। अब आदेश 18 जुलाई को सुनाएगी। मामले में आरोपी पुनीत पोद्दार, अवध पोद्दार, शैलेश कुमार और लिंगराज पत्ताजोशी ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है।

रिश्वत केस में आरोपी एजेंट सलित को बेल नहीं

रांची। जमशेदपुर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सोनारी शाखा में 40 हजार रुपये रिश्वत लेते सीबीआई के हत्थे चढ़े एजेंट सलित भगत को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी), रांची ने सलित भगत को 10 जून को 40 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।

पारिवारिक पेंशन एरियर में ट्रेजरी अफसर तलब

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने पारिवारिक पेंशन के एरियर भुगतान में हो रही देरी पर गंभीर नाराजगी जताई है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने लोहरदगा के ट्रेजरी ऑफिसर को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इस संबंध में गांगी देवी ने याचिका दायर की है। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि गांगी देवी के पति का वर्ष 2022 में निधन हो गया था।

ट्रेजरी घोटाला: आरोपी फुटबॉलर की बेल खारिज

रांची। चाईबासा ट्रेजरी से सरकारी राशि की अवैध निकासी मामले में आरोपी फुटबॉलर गोराचंद मरांडी को राहत नहीं मिली। सीआईडी के विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने उसकी जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। आरोपी 27 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में है। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के डीडीओ कोड से राशि स्थानांतरित की गई थी।

LMB Springcity FUN CINEMAS

SPRINGCITY FUN CINEMAS, WELCOME YOU TO EXPERIENCE
OUR PREMIUM RECLINER'S
WE ASSURE BEST STANDARDS AND HYGENIC ENVIRONMENT

ALPHA (U/A) Hindi
09:30am, 10:30am, 01:20pm, 04:10pm, 07:00pm, 09:50pm.
BABY DO DIE DO (U/A) Hindi: 03:30pm.
MINIONS AND MONSTERS (U/A)3D Eng: 12:15pm, 05:35pm.
WELCOME TO THE JUNGLE (U/A)Hindi
09:00am, 02:15pm, 07:35pm, 09:15pm, 11:00pm.
MAI VAPAS AAUNGA (U/A) Hindi: 12:20pm, 06:00pm.
Schedule subject to last minute change*Terms & Conditions Apply
For Latest Schedule and Tele Booking @ 8797008797 book my show
follow on: Official_springcity @springcity_21
SPRINGCITY MALL, HINOO. RANCHI

उपायुक्त का कार्यालय
जिला जनसम्पर्क इकाई,
हजारीबाग–825301
(कमरा नं.–305, सी–विंग, तीसरा तल्ला, समाहरणालय भवन)

कलादलों के जिला स्तरीय चयन एवं ग्रेडिंग से संबंधित आवश्यक सूचना

सांस्कृतिक कलादलों के चयन एवं ग्रेडिंग से संबधित इस कार्यालय द्वारा प्रकाशित इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रण सूचना पीआर संख्या 379421 (IPRD) 26–27 के क्रम में सांस्कृतिक कलादलों के चयन व ग्रेडिंग जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से किया जाना है। तद्नुसार दिनांक 21 जुलाई, 2026 (मंगलवार) एवं 22 जुलाई, 2026 (बुधवार) को "कलादल स्क्रीनिंग/ऑडिसन कार्यक्रम" स्थानीय नगर भवन, हजारीबाग में पूर्वाह्न 10 बजे से संध्या 5 बजे तक जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष आयोजित किये जायेंगे। कलादलों को उक्त समिति के समक्ष अधिकतम 7 मिनट की अवधि में अपनी प्रस्तुति देनी है।

सभी आवेदनकर्ता कलादलों/दलनायकों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दो दिवसीय स्क्रीनिंग/ऑडिसन कार्यक्रम में शामिल होने हेतु कार्यालय में सम्पर्क कर दिनांक एवं स्लॉट की बुकिंग दिनांक 18 जुलाई, 2026 तक अवश्य करा लें। स्लॉट बुकिंग के आधार पर ही निर्धारित तिथि एवं समय को संबंधित कलादलों द्वारा अपनी प्रस्तुती देनी है। स्लॉट बुक नहीं कराने वाले कलादलों के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी,
हजारीबाग

PR 384897 (IPRD)26-27*D

जेएससीए केस में 29 जुलाई को अंतिम सुनवाई

रांची। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) की संवैधानिक वैधता एवं प्रशासनिक कार्यप्रणाली से जुड़े मामले में अंतिम सुनवाई 29 जुलाई को होगी। बीसीसीआई के लोकपाल सह एथिक्स अफसर एवं सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने मंगलवार को सभी पक्षों को दलीलें सुनीं।

सभी पक्षों को लिखित दलील पेश करने को भी कहा गया है। जेएससीए के आजीवन सदस्य नंदू पटेल द्वारा 14 अक्तूबर को दायर शिकायत पर सुनवाई की जा रही है, जिसमें जेएससीए द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एवं बीसीसीआई संविधान के अनुरूप संवैधानिक संशोधन लागू न करने तथा चुनाव कराने की प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं।

चलती पिकअप में छात्रा से गैंगरेप में दो दोषी करार

रांची, संवाददाता। इंटर की छात्रा से चलती पिकअप वैन में सामूहिक दुष्कर्म से जुड़े सात साल पुराने मामले में न्यायायुक्त एके मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को चालक दीपक महतो और खलासी छोटू उर्फ गुड्डू चौहान को दोषी करार दिया है। मामले में सजा की बिंदु पर 20 जुलाई को सुनवाई होगी।

फैसले के दिन अभियुक्त छोटू उर्फ गुड्डू चौहान अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। इस पर अदालत ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने और उसके जमानतदार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। जबकि, दूसरे अभियुक्त दीपक महतो को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। दोनों आरोपी जमानत पर चल रहे थे।

घटना को अंजाम 10 जनवरी 2019 को दिया गया था। घटना को लेकर पीड़िता ने सदर थाना में पिकअप वैन के चालक और खलासी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़िता डालटनगंज जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान पिकअप पर सवार हुई। सुनसान स्थान पर ले जाकर हाथ-पैर और मुंह बांधकर पिकअप के अंदर घटना का अंजाम दिया गया और सड़क किनारे छोड़कर आरोपी फरार हो गए।

- सजा के बिंदु पर सुनवाई 20 जुलाई को होगी
- फैसले के दिन अदालत में पेश नहीं हुआ छोटू, गैर-जमानती वारंट जारी किया गया
- दीपक महतो को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया

टाइटल साबित किए बिना मुआवजा नहीं मिलेगा : कोर्ट

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो स्टील प्लांट के लिए कथित रूप से बिना अधिग्रहण इस्तेमाल की गई जमीन के बदले मुआवजा देने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जब तक प्रार्थी विवादित जमीन पर अपना कानूनी मालिकाना हक (टाइटल) साबित नहीं कर देते, तब तक मुआवजे का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता।

जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने बोकारो जिले के चार प्रार्थियों की याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि जमीन के मालिकाना हक से जुड़े विवाद संविधान के अनुच्छेद-226 के तहत रिट याचिका में तय नहीं किए जा सकते। ऐसे मामलों का फैसला सक्षम सिविल कोर्ट ही करेगा।

प्रार्थियों ने अदालत को बताया कि 1950 और 1960 के दशक में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना के लिए बड़े पैमाने पर जमीन का अधिग्रहण किया गया था। उनका आरोप था कि मौजा कनारी की करीब 561 एकड़ जमीन बिना कानूनी अधिग्रहण और बिना मुआवजा दिए प्लांट की चहारदीवारी बनाकर कब्जे में ले ली गई। उनका यह भी कहना था कि राज्य सरकार की एक समिति ने उन्हें जमीन का वास्तविक दावेदार माना था, फिर भी उन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिला।

रिश्वत मामले में तत्कालीन राजस्व कर्मचारी बरी

रांची। रिश्वत लेने के आरोप में पिछले 19 साल से ट्रायल फेस कर रहे गुमला के चैनपुर अंचल के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी ब्रजेश सिंह को एसीबी की विशेष अदालत ने मंगलवार को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल सिंह महाराणा ने दलील दी कि सूचक के पिता को पहले ही पट्टा मिल चुका था, इसलिए रिश्वत मांगने का आरोप तथ्यात्मक रूप से सिद्ध नहीं होता है। एसीबी ने उसको 12 जनवरी 2007 को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

राजस्वकर्मी व भाई 3 दिन की रिमांड पर

रांची। जमीन दाखिल-खारिज करने में 4.50 लाख रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार बुढ़मू अंचल के राजस्व कर्मचारी राजेश किशोर रवि और उनके भाई गौतम किशोर रवि से एसीबी तीन दिनों तक पूछताछ करेगी। एसीबी ने सात दिनों की पुलिस रिमांड मांगी थी। तीन दिन की रिमांड की अनुमति एसीबी कोर्ट ने दी। रिमांड बुधवार की सुबह से शुरू होगी। एसीबी ने दोनों आरोपियों को आठ जुलाई को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में बुढ़मू के सीओ सच्चिदानंद वर्मा की भी गिरफ्तारी हुई है। वर्तमान में तीनों न्यायिक हिरासत में हैं।

पंजाब नैशनल बैंक ....भरोसे का प्रतीक | Punjab National Bank ...the name you can BANK upon !

ARMB, राँची (पता: एस. एन. गांगुली रोड, राधेश्याम लेन, रांची, जिला – राँची, झारखंड – 834001 | फोन : 7300705205, ई-मेल: cs6794@pnb.bank.in

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एंव 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद् द्वारा सामान्य रूप से आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं एंव जमानतदारों को सूचना दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों को सुरक्षित लेनदार को बंधक/ प्रभारित किया गया है, जिसका रचनात्मक/ भौतिक/ सांकेतिक जो भी लागू हो जिसका कब्जा बैंक के अधिकृत अधिकारी/ प्रतिभूति लेनदार द्वारा लिया गया है। सम्बंधित उधारकर्ताओं एंव जमानतदारों से बैंक/ सुरक्षित लेनदार होने के कारण अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिये गये तालिका में उल्लेखित तिथि पर **"जहाँ है", "जैसा भी है" और "जो कुछ भी है"** पर बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रधन जमा राशि सम्बंधित सम्पत्तियों के सामने नीचे दिये गये तालिका में उल्लिखित है।

लॉट सं.	शाखा का नाम / खाता का नाम / उधारकर्ता/जमानतदारों के खाता का नाम एवं पता	बंधक/ स्वामी के नाम के अचल सम्पत्तियों का विवरण (बंधककर्ता की सम्पत्ति (यों)	A) 13(2) SARFAESI एक्ट के तहत डिमांड नोटिस की तिथि B) डिमांड नोटिस की तिथि तक बकाया राशि C) कब्जा की तिथि 13(4) SARFAESI एक्ट 2002 के अनुसार D) कब्जा का प्रकार सांकेतिक/ भौतिक/ रचनात्मक E) दिनांक 30.06.2026 तक बकाया राशि	A) आरक्षित मूल्य (रू0 लाख में) B) इएमडी C) बोली वृद्धि राशि D) Baanknet प्रॉपर्टी आईडी	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
01	शाखा कायार्लय : रातू रोड (218810) मेसर्स सुभाष चन्द्र सिंह मेसर्स सुभाष चन्द्र सिंह (पार्टनर – श्री सुभाष चन्द्र सिंह एवं श्रीमती चारु सिंह) श्री सुभाष चन्द्र सिंह, पिता – गोविंद देव ब्रह्मचारी श्रीमती चारु सिंह, पार्टनर – मेसर्स सुभाष चन्द्र सिंह श्री अमिताभ सिंह (जमानतदार), R/o – राधा मंदिर रोड मेसर्स नवलक्ष्य कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड (जमानतदार) श्रीमती उमा अग्रवाल (जमानतदार/ निदेशक, मेसर्स नवलक्ष्य कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड) श्री दिवाकर प्रकाश (जमानतदार/ निदेशक, मेसर्स नवलक्ष्य कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड)	बहुमंजिला आवासीय भवन "आशादीप" में स्थित आवासीय फ्लैट संख्या B-502, पाँचवीं मंजिल पर, जिसका सुपर बिल्ट-अप क्षेत्र 1150 वर्गफुट है तथा एक कार पार्किंग स्पेस के साथ, खाता संख्या 3, 113, 112, 85, प्लॉट संख्या 561/B, 561, 560, 562, 428 पर स्थित, मौजा– जोरार, थाना– नामकुम, थाना संख्या– 215, वार्ड संख्या– 22, जिला: रांची, राज्य: झारखंड में स्थित है, जो विक्रय विलेख संख्या 665, दिनांक 12.02.2013 के अनुसार सुभाष चन्द्र सिंह के नाम में है। **सीमा निम्नानुसार है :** उत्तर: कॉरिडोर, दक्षिण: सेट बैक, पुरुलिया रोड, पूर्व: डक्ट एरिया एवं फ्लैट संख्या 5C, पश्चिम: लिफ्ट, फ्लैट संख्या 5A	A) 13.06.2024 B) Rs. 4,68,12,784.28 + further interest C) 05.09.2025 D) सांकेतिक कब्जा E) Rs. 7,24,82,438.00	A) Rs 36,77,700.00 B) Rs. 3,67,770.00 C) Rs 1,00,000.00 D) PUNBEX45068 0762	04.08.2026 11:00 AM to 04:00 PM
02	शाखा कायार्लय : रातू रोड (218810) मेसर्स सुभाष चन्द्र सिंह मेसर्स सुभाष चन्द्र सिंह (पार्टनर – श्री सुभाष चन्द्र सिंह एवं श्रीमती चारु सिंह) श्री सुभाष चन्द्र सिंह, पिता – गोविंद देव ब्रह्मचारी श्रीमती चारु सिंह, पार्टनर – मेसर्स सुभाष चन्द्र सिंह श्री अमिताभ सिंह (जमानतदार), R/o – राधा मंदिर रोड मेसर्स नवलक्ष्य कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड (जमानतदार) श्रीमती उमा अग्रवाल (जमानतदार/ निदेशक, मेसर्स नवलक्ष्य कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड) श्री दिवाकर प्रकाश (जमानतदार/ निदेशक, मेसर्स नवलक्ष्य कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड)	वाणिज्यिक स्थान ऑफिस संख्या 402 "B" के सभी भाग जो, चौथी मंजिल, ब्लॉक–A में, निर्मित क्षेत्रफल 1473 वर्गफुट तथा 378 वर्गफुट में भूमि क्षेत्र के अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ, वाणिज्यिक भवन "पंचवटी टॉवर" में स्थित है, जो MS प्लॉट संख्या 915 (भाग), सब-प्लॉट संख्या 915/I से 915/VII, होल्डिंग संख्या 600/A1/A और 600/A1/B, पुराना वार्ड संख्या 2 (7A), नया वार्ड संख्या 30, मौजा– रांची, हरमू रोड, थाना संख्या 205, थाना– सुखदेव नगर, जिला– रांची, राज्य– झारखंड में M/s नवलक्ष्य कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर विक्रय विलेख संख्या 4093/4934 दिनांक 21.07.2015 के अनुसार इसकी निदेशिका श्रीमती उमा अग्रवाल, पति – श्री दिवाकर प्रकाश के नाम में दर्ज है। **संपत्ति की वास्तविक सीमाएँ निम्नानुसार हैं** – पूर्व: कॉरिडोर, पश्चिम: ब्लॉक–B, उत्तर: ऑफिस 402B का भाग (ATC टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड), दक्षिण: खुला आसमान	A) 13.06.2024 B) Rs. 4,68,12,784.28 + further interest C) 05.09.2025 D) सांकेतिक कब्जा E) Rs. 7,24,82,438.00	A) Rs. 1,19,27,700.00 B) Rs. 11,92,770.00 C) Rs 1,00,000.00 D) PUNBEX45069 8784	04.08.2026 11:00 AM to 04:00 PM

प्रतिभूति लेनदार को ज्ञात भार का विवरण - बैंक को ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें

बिक्री सुरक्षा (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियमों एवं शर्तों के अधीन होगा और निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा।
01. सम्पत्तियों को **"जहाँ है", "जैसा भी है" और "जो कुछ भी है"** के आधार पर बेचा जा रहा है।
02. अनुसूचि में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसम्पत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जबावदेह नही होगा।
03. बिक्री वेबसाइट **https://baanknet.com** पर ई-नीलमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक **04.08.2026 को अपराह्न 11:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक की जाएगी।**
04. उपरोक्त उल्लिखित बयाना राशि (EMD) को PSB Alliance Private Limited के E-Wallet में (**http://baanknet.com**) पोर्टल के माध्यम से सीधे जमा किया जाएगा अथवा उसी पोर्टल पर चालान (Challan) उत्पन्न कर, उसमें दिए गए खाते के विवरण के अनुसार RTGS/NEFT के माध्यम से EMD जमा किया जाएगा। यह राशि **दिनांक 03.08.2026 को 16:00 बजे से पूर्व** अनिवार्य रूप से जमा की जानी चाहिए।
05. बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया **https://baanknet.com** और **www.pnb.bank.in** पर देखें।

SARFAESI अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना

तिथि : 14.07.2026
स्थान : रांची

नोट : विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।

प्राधिकृत अधिकारी
पंजाब नेशनल बैंक, प्रतिभूति दाता

Government of Jharkhand
Department of School Education and Literacy
(Jharkhand Education Project Council, Ranchi)
J.S.C.A. Stadium Road, Sector.-III, Dhurwa, Ranchi-834004
Phone: 0651-2444501, E-Mail: jepcranchi1@gmail.com

e-Procurement Notice

JEPC invites Separate Technical & Financial Bids through from eligible and interested contractors for Construction Of Additional Class Room in Different District of North Chotanagpur Division of Jharkhand. Interested and eligible bidders are requested to submit their proposal latest by 06.08.2026 at 02.00 PM.

The details of tender document can be seen and applied through website http://jharkhandtenders.gov.in only.

Sd/-
State Project Director
Jharkhand Education Project Council

Ref. No.: JEPC/CIV/03/2280/2026/2798 Ranchi, Date: - 13/07/2026
PR.NO.384877 Jharkhand Education Project Council(26-27):D

झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, राँची–834001

ज्ञापांक–2309 दिनांक–14.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति

झारखण्ड सहायक वन संरक्षक प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या–03/2024) के शारीरिक परीक्षण के संबंध में आवश्यक सूचना।

आयोग के प्रेस विज्ञप्ति ज्ञापांक–2219, दिनांक–07.07.2026 द्वारा झारखण्ड सहायक वन संरक्षक मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या–03/2024) में सफल अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण हेतु दिनांक–28.07.2026 एवं दिनांक–29.07.2026 को निधारित की गयी थी।
2. अपरिहार्य कारणों से शारीरिक परीक्षण हेतु दिनांक–28.07.2026 एवं दिनांक–29.07.2026 को परिवर्तन करते हुए दिनांक–17.08.2026 एवं 18.08.2026 को निर्धारित की जाती है।
3. आयोग के प्रेस विज्ञप्ति ज्ञापांक–2219, दिनांक–07.07.2026 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
4. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

ह0/–परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।

PR: 384967 (Jharkhand Public Service Commission) 26-27

Government of Jharkhand
Department of School Education and Literacy
(Jharkhand Education Project Council, Ranchi)
J.S.C.A. Stadium Road, Sector.-III, Dhurwa, Ranchi-834004
Phone: 0651-2444501, E-Mail: jepcranchi1@gmail.com

e-Procurement Notice

JEPC invites Separate Technical & Financial Bids through from eligible and interested contractors for Construction Of Additional Class Room in Different District of Santhal Pargana Division of Jharkhand. Interested and eligible bidders are requested to submit their proposal latest by 06.08.2026 at 02.00 PM.

The details of tender document can be seen and applied through website http://jharkhandtenders.gov.in only.

Sd/-
State Project Director
Jharkhand Education Project Council

Ref. No.: JEPC/CIV/03/2265/2026/2801
Ranchi, Date: - 10/07/2026
PR 384870 Jharkhand Education Project Council(26-27)D